"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2015— आश्विन 11, शक 1937

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

आदेश

क्रमांक एफ 1-24/2013/स्था./चार. — समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 में, दिनांक 12 दिसंबर 2013 की प्रभावशीलता से, संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 12 दिसंबर 2013 से राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पदों की संख्या में संशोधन किया गया है.

तदनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसंबर 2013 को, दिनांक 12 दिसंबर 2013 की प्रभावशीलता से, विखंडित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.